समाहरणालय, अरवल

अमृषा बैंस, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, अरवल
☎ :- 06337-228994 (O)
:- 06337-228985 (R)
:- 06337-228988 (F)
:- +919473191476
E-mail :- dm-arwal.bih@nic.in

जिला आपूर्ति शाखा

पत्रांकः–   /आपूर्ति   अरवल, दिनांकः–   /   /2026

उचित मूल्य की दूकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतू आम सूचना।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के **परिपत्र संख्या–1222, दिनांक–08.03.2017 परिपत्र संख्या–1571, दिनांक–28.03.2017** में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्गत है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के **परिपत्र संख्या 14396, दिनांक–10.09.2024** के द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में निर्गत दिशानिर्देश तथा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के भाग–2 में निहित प्रावधानों के अनुरूप अरवल जिला अन्तर्गत उचित मूल्य के दुकानों की रिक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुसार **कुल–20** रिक्तियों के विरूद्ध उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत की जानी है, जिसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह/महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। प्रखण्ड/पंचायतवार आरक्षण कोटिवार जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की रिक्ति का विवरण निम्नवत है :–

क्र0	आरक्षण कोटि	वार्ड / पंचायत का नाम	नगर परिषद् /प्रखण्ड का नाम	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पिछड़े वर्गो की महिलाएं	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनारक्षित		कुल योग
				अनु0 जाति	अनु0 जा0 महिला	अनु0 ज0 जा0	अनु0 ज0 जा0 महिला	अ0पि0 वर्ग	अ0 पि0 व0 महिला	पि0 व0	पि0 व0 महिला		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला	अना0	अना0 महिला	
1	अ0पि0व0	सोनवर्षा	अरवल	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	अ0पि0व0	सोनवर्षा		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	अ0पि0व0 म0	सकरी		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	अ0पि0व0	न0प0 वार्ड नं0–01	अरवल न0प0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	अ0पि0व0	न0प0 वार्ड नं0–08	अअरवल न0प0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	अ0पि0व0 म0	न0प0 वार्ड नं0–11	अरवल न0प0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	अनु0ज0जा0	सोहसा	कलेर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

8	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	द0 कलेर	कलेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	अ0पि0व0 म0	मैनपुरा		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	अ0पि0व0	अईयारा	करपी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	अ0पि0व0	मुरारी		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	अ0पि0व0 म0	नरगा		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
13	अनु0ज0 जाति	नरगा		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	अ0पि0व0	माली	सोनभद्र वंशी सूर्यपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	अ0पि0व0	खड़ासीन	सोनभद्र वंशी सूर्यपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	अ0पि0व0 म0	निधवाँ	कुर्था	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17	अ0पि0व0	बारा	कुर्था	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बारा	कुर्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
19	अ0पि0व0	खेमकरण सराय	न0पं0 कुर्था	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	अ0पि0व0 म0	खेमकरण सराय	न0पं0 कुर्था	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
कुल				**0**	**0**	**2**	**0**	**10**	**6**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**20**

<u>नोट</u> :– **i.** *सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 04 प्रतिशत देय होगा।*

ii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के **परिपत्र संख्या–2526, दिनांक–18.02.2016** के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी को नियमानुसार पद क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा।

iii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के **पत्र संख्या–11 / आ0नी0–I–11 / 2025 / सा0प्र0, 2342, पटना–15, दिनांक–15.02.2016** के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार **35** प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

iv. यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनूसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।

1. <u>पात्रता एवं शर्ते</u> :–

i. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

ii. आवेदक द्वारा समर्पित किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने चाहिए।

iii. उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रूप में होगी :–

(क) स्वयं सहायता समूह।

(ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ।

(ग) पूर्व सैनिक की सहयोग समितियाँ।

(घ) शिक्षित बेरोजगार।

(ड़) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (शहरी) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :–

i. एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी) पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

ii. मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

iii. आटा–चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

iv. अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

v. *आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10)* के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

3. चयन की प्रक्रिया :–

i. अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।

ii. तत्पश्चात् जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचनापट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा /आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जायेगा।

iii. दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभियुक्ति कारण सहित अंकित की जायेगी।

iv. अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सनिहित अनुशंसा के विरूद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे।

v. वैसे सभी मामले में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी वहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किंतु जिन मामले में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

vi. जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

4. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :–

i. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल) को अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करेंगे। व्यक्ति अनुसूची–1 में, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ अनुसूची–2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे।

ii. अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

iii. स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं /पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति अनुसूचति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ वर्ग, पिछड़े वर्गो की महिलायें तथा समान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

iv. आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि देय नहीं है।

v. अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

vi. एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित कागजात/प्रमाण पत्र :–

(क) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये :–

i. आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन तीन रंगीन साईज फोटो, जिसमें से एक स्वअभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए।

ii. सभी शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iii. अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. यदि आवेदक आरक्षित श्रेणि की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे है, तो अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

v. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्मति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

vi. दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है, तो उसका खताा, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला तथा लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति। अगर किराया का है तो किरायनाम (Deed of lease) से संबंधित एकरारनामा (Agreement) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

vii. आवेदक इस आशय की शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि :–

a) आवेदक के संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

b) आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।

c) आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

d) आवेदक सरकारी लाभ/सरकारी नौकरी के किसी पद पर पदस्थापित नहीं है।

e) आवेदक अथवा उनके निकट संबंधियों के पास आटा–चक्की नहीं है।

f) आवेदक वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचयत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य नहीं है।

(ख) <u>स्वयं सहायता समूह के लिये :–</u>

i. समूह का गठन न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो।

ii. निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।

iii. स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

iv. स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।

v. आरक्षण का दावा हो, तो प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

6. <u>आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :–</u>

पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न अनुलग्नकों के साथ बंद लिफाफे में दिनांक..16/03/..2026 से दिनांक..11/04/....2026 तक निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल के कार्यालय में आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि (दिनांक–11/04/.......2026 अपराह्न 05:00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। लिफाफे के उपर निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है :–

- उचित मूल्य की दूकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :–
- विज्ञापन संख्या :–
- पंचायत एवं प्रखण्ड का नाम :–
- आरक्षित श्रेणी जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :–

1. आवेदक द्वारा दिये गये गलत अथवा भ्रामक सूचना के आधार पर चयन होने की स्थिति में उन्हें निर्गत अनुज्ञप्ति को नियमानुसार रद्द करने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी

ह०/–

जिला पदाधिकारी

अरवल।

ज्ञापांकः– ......80........./आ0 अरवल, दिनांकः–....10...../....03../2026

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को उपरोक्त सभी पदाधिकारी को ई–मेल करने तथा जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इस आदेश का प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय के सूचनापट्ट पर उपरोक्त विज्ञापन प्रदर्शित किया जाय।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

10/3

जिला पदाधिकारी

अरवल।

अनुसूची–1

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन पदाधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ–**
   (क) नाम
   (ख) पिता/पति का नाम
   (ग) शैक्षणिक योग्यता
   (घ) उम्र
   (ड़) स्थायी तथा वर्तमान पता
   (फोन नं./मोबाईल नं./ई–मेल पता के साथ)
   (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :–**
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   (क) मकान/दुकान संख्या
   (ख) होल्डिंग नं0
   (ग) क्षेत्रफल
   (घ) खाता नं0..................खेसरा नं0..............
   (ड़) चौहद्दी
   (च) मुहल्ला/वार्ड नं0
   (छ) ग्राम/शहर
   (ज) थाना
   (झ) जिला
3. **आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।**
4. **व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।**
5. **यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें।**
6. **क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 की केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?**
7. **क्या आवेदक किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?**
8. **क्या आवेदक के विरूद्ध आपराधिक मामला लम्बित है ?**
9. **क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।**
10. **क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।**
11. **क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?**
12. **क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?**
13. **क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?**

मै.......................................एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही है एवं उनमें कुछ नहीं छिपाया गया है। भविष्य में यदि यह असत्य पाया जाते है तो मै कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

"बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मै उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची–2

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

अनुज्ञापन पदाधिकारी का पदनाम...
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ–**
   - (क) नाम एवं प्रकार :
   - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष
     (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन की वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   - (ग) कार्यालय का पता :
   - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   - (ड़) प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
     (नर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें :–
2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :**
3. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित सूचनाएँ :–**
   - (क) नाम :
   - (ख) पिता/पति का नाम :
   - (ग) स्थायी पता :
   - (घ) पत्राचार का पता :
   - (ड़) फोन नं0/मोबाईल नं0/ई–मेल पता :
4. **आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें।**
5. **व्यवसाय स्थल का विवरण**
   - (क) मकान/दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........................खेसरा नं0.................. :
   - (ड़) चाहद्दी :
   - (च) मुहल्ला/वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम/शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला :
   - (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. **दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया का है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।**
7. **यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहायोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें।**
8. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहायोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–**
   (आवेदन की तिथि को बैंक खाते एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मै.......................................एतद्......................................की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक........................को पारित प्रस्ताव संख्या......................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही है एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मै, यह भी घोषणा करता हूँ कि.......................................की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझा लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के
प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का
नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का
नाम